न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
49 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	26.05.2021	02.12.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहनदास सबनानी निवासी इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
3–श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी चौहट्टी बाजार छीपों के मन्दिर के पास निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
4–मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
5–श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल निवासी डी–191–बी, जगदीश मार्ग बनीपार्क जयपुर नॉमिनी मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा. लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर
6–मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा. लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर

...............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विजेन्द्र गोयल व श्री तेजमल जैन।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 02.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.09.2020 को समय 03:00 पी.एम पर मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहनदास सबनानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बालचन्द सबनानी ने स्वंय को मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

40 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बालचन्द सबनानी को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बालचन्द सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 17 एवं पैकिंग की दिनांक 30 जून 2020 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक बोतल खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2606 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2606 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहनदास सबनानी मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2020 / 3544 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0 / 1272 / एक्ट / 2020 / 1344 दिनांक 28.09.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज के साथ बतौर वारन्टी मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा. लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स हरि ऑयल मिल्स प्रा. लि. 64, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त फर्म का नॉमिनी श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल को होना बताया। अतः आवेदक ने फर्मों/विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से दिनांक 23.07.2021 को श्री विजेन्द्र गोयल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। आज अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से फर्म मालिक श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल मय अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (वीर बालक ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री बालचन्द सबनानी पर शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 श्री सुरेश चन्द जैन पर शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल पर शास्ति रूपये 20,000/—(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक